आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

01.07.2019

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल।
राजस्व विविध वाद सं0– 04/2018
रंजन दास
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– चांदशहर
आदेश

आवेदक रंजन दास, पिता– मनोहर दास, सा0– चांदशहर, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के द्वारा मौजा चांदशहर थाना नं0– 229, जमाबंदी नं0– 217, दाग नं0– 569, रकवा 15 धूर जमीन पंजी II से संबंधित पृष्ठ फट जाने के कारण लगान रसीद नहीं दिया जा रहा है, से संबंधित आवेदन दाखिल किया है। अवलोकन किया। आवेदक को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, उधवा से इस कार्यालय के पत्रांक 21/भू0सु0, दिनांक 23.03.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

इस राजस्व विविध वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणीः–

मौजा	खाता सं0	दाग सं0	रकवा
चांदशहर	217	569	00–00–15

अंचल अधिकारी, उधवा के कार्यालय पत्रांक 303/रा0, दिनांक 09.05.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा चांदशहर, थाना सं0– 229, खाता सं0– 217 के अंतर्गत खेसरा सं0 569, रकवा 02 कट्ठा 08 धूर जमीन गत सर्वे खतियान में मृत्यूंजय दास, पिता– अटल बिहारी दास, सा0– चांदशहर के नाम से दर्ज है। उक्त भू–भाग में से रकवा 15 धूर जमीन मनोहर चन्द्र दास, पिता– खली दास के नाम पर दाखिल खारिज है। लेकिन पंजी II का पन्ना उपलब्ध नहीं है। लगान रसीद वर्ष 2004–05 तक निर्गत है। साथ ही हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि खेसरा सं0 569, रकवा 15 धूर जमीन वर्तमान में मनोहर चन्द्र दास के पुत्रगण रंजन दास वगैरह के दखल कब्जे में है। फलस्वरूप अंचल निरीक्षक के द्वारा संबंधित भूमि का रकवा 15 धूर का पंजी II कायम करने की अनुशंसा किया गया है।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आवेदक से Affidavit प्राप्त करते हुए पंजी II के फटे हुए पन्ने को बहाल करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

ज्ञापांक–69
दिनांक–27.7.19

Scanned with CamScanner